



राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया,सिविल लाईन फाटक के पास,जयपुर 302005

क्रमांक :- एफ 1(7)(03178)डीपीसी/सान्याअवि/2025

जयपुर, दिनांक :-यथा ई-हस्ताक्षरित

:- आदेश :-

विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 07.01.2025 को आयोजित बैठक में निजी सहायक (L-11) से अतिरिक्त निजी सचिव (L-12) के पद पर वर्ष 2022-23 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में कार्मिक के अभिलेखों का अवलोकन करने पर समिति द्वारा पदोन्नति से निम्नांकित निजी सहायक के अभिलेख पूर्ण होने पर पदोन्नति हेतु अनुशंषा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैं :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	श्रेणी	चयन दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री खेमचन्द शर्मा	UR	01.04.2022	-

श्री उत्तमचंद शर्मा के अभिलेख वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा संतान घोषणा पत्र की पूर्ति के अभाव में वर्ष 2022-23 में रिक्ति दि. 01.04.2022 के विरुद्ध पदोन्नति डेफर की जाती है।

श्री खेमचन्द शर्मा वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण कर निदेशालय को रिपोर्ट भिजवायेंगे। पदोन्नति पद पर पदस्थापन के आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे। इनको पदोन्नति का वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(केसरलाल मीणा)

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)

क्रमांक :- एफ 1(7)(03178)डीपीसी/सान्याअवि/2025

जयपुर, दिनांक :-यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता विभाग/विशेष योग्यजन, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,।
5. संस्थापन अधिकारी (संस्थापन/सामान्य)/पेंशन/लेखाकार भुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।
6. संस्थापन प्रशाखा (पी.-3), मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) को वेबसाईट पर संधारित किये जाने हेतु।
7. संबंधित कार्मिक श्रीमती/श्री.....।
8. व्यक्तिगत पत्रावली श्रीमती/श्री।
9. आदेश पत्रावली।

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)

